संख्या-18/2016/634/94-स्टा0नि0-2-2016-700(634)/2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव/प्रमख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2016

विषय:- राज्य सरकार द्वारा भूमि के क्रय अथवा राज्य सरकार के पक्ष में दान अथवा लीज के रूप में दी गई भूमि के विलेख पर स्टाम्प शुल्क की देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

बहुधा विभिन्न विभागों द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को इस आशय के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं कि उसमें शासन द्वारा भूमि का क्रय किया जा रहा है, अथवा किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा शासन के पक्ष में भूमि दान की जा रही है, ऐसे प्रकरणों में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

2- उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों के सम्बन्ध में यह संज्ञान में लाना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-29(ग) एवं धारा-29(च च) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी विलेख के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की देयता किस पक्षकार की होगी। इसके अनुसार स्टाम्प शुल्क के भुगतान का दायित्व हस्तांतरण के मामलों में ग्रहीता, लीज या लीज के इकरार पर लीज ग्रहीता या अभिलाषी लीज ग्रहीता तथा दान की दशा में आदाता (दान प्राप्त करने वाले) का है।

3- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-3 (क-क) एवं (ख-ख) के परन्तुक में निम्नवत उल्लेख किया गया है :-

"(i) सरकार द्वारा, या उसकी तरफ से, या उसके पक्ष में निष्पादित किसी विलेख पर, जहां इस मुक्ति के अभाव में, उस विलेख पर प्रभार्य शुल्क अदा करने का दायित्व सरकार का होता; कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।"

4- चूंकि उपरोक्त प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क की देयता राज्य सरकार की है। अत: ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त धारा के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से स्वत: ही छूट प्राप्त है, तथा ऐसे प्रकरण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को सन्दर्भित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यहां यह भी स्पष्ट करना समीचीन होगा कि ऐसे विलेखों के निष्पादन के लिए शासनादेश संख्या-क0नि0-5-3302/11-2001-500(22)/2001, दिनांक 31 मई, 2001 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया को निम्न प्रस्तर में पुन: स्पष्ट किया जा रहा है।

6- शासन के सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी क्रेता के रूप में लेखपत्र का निष्पादन करने से पूर्व लेखपत्र के आलेख को न्याय विभाग में तैनात उक्त शासकीय हस्तांतरक से विधीक्षित कराते हैं। आलेख को विधीक्षित कराने के उपरान्त प्र0वि0 के सचिव/प्रमुख सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी क्रेता के रूप में दान पत्र अथवा लेखपत्र को हस्ताक्षरित करते हैं। हस्ताक्षर के उपरान्त प्र0वि0 द्वारा किसी एक अधिकारी को लेखपत्र को उप निबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया जाता है। साथ ही उप निबन्धक के नाम इस आशय का एक पत्र प्रेषित किया जाता है कि इस लेखपत्र पर राज्यपाल की ओर से पद की हैसियत से हस्ताक्षर किए गए हैं। अत: हस्ताक्षरकर्ता को उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थिति से मुक्त किया जाय एवं लेखपत्र को निबन्धन हेतु स्वीकार किया जाय।

कृपया इस प्रकार के प्रकरणों में उपरोक्तानुसर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

पृ0संख्या: 18/2016/634(1)/94-स्टा0नि0-2/2016-700(634)/2016, तद्दिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश ।
(4) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in